संख्या- 27/11/2011-एस.आर.एस.
भारत सरकार
कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय
(कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग)

तीसरा तल, लोकनायक भवन,
खान मार्केट, नई दिल्ली ।
दिनांक 27 सितम्बर, 2011

सेवा में,

मुख्य सचिव,
उत्तर प्रदेश सरकार,
लखनऊ ।

मुख्य सचिव,
उत्तरांचल सरकार,
देहरादून ।

विषय : भारत सरकार द्वारा जारी शासनादेश दिनांक 29.07.2008 तथा 24.06.2010 के तहत मूल निवास एवं अनुसूचित जाति के आधार पर उत्तराखंड/उत्तर प्रदेश राज्य आवंटन।

महोदय,

उपर्युक्त विषय में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि राज्य परामर्शी समिति की दिनांक 15.06.2011 को आयोजित बैठक में विचारोपरांत समिति ने संलग्नक में उल्लिखित कार्मिकों के अभ्यावेदनों को भारत सरकार द्वारा जारी शासनादेश दिनांक 29.07.2008 तथा 24.06.2010 से आच्छादित होने के कारण उनके विकल्प के अनुसार मूल निवास राज्य आवंटित किये जाने की संस्तुति की है । विस्तृत ब्योरा संलग्नक पर है ।

समिति द्वारा इस मामले में जो संस्तुतियां की गईं उन्हें भारत सरकार द्वारा मान लिया गया है एवं संलग्नक में उल्लिखित कार्मिकों को उनके मूल निवास राज्य आवंटित किये जाने का निर्णय लिया गया है ।

कृपया संबंधित अधिकारी को इस निर्णय से अवगत करवा दिया जाए ।

भवदीय

(सारंगधर नायक)
अवर सचिव, भारत सरकार

प्रतिः-

1. श्री राजेन्द्र मोहन श्रीवास्तव, प्रमुख सचिव, उत्तर प्रदेश पुनर्गठन समन्वय विभाग, 8-ए, नवीन भवन, सचिवालय, लखनऊ ।
2. प्रमुख सचिव, उत्तराखंड पुनर्गठन समन्वय विभाग, देहरादून।

संलग्नक 4 कार्मिकों की सूची

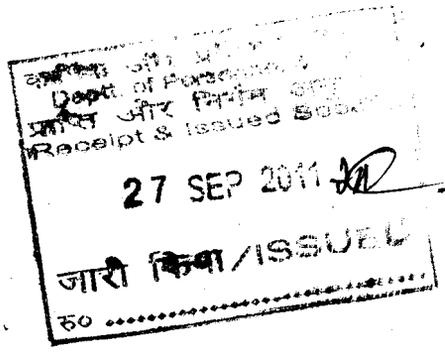

क्रमांक	कार्मिक का नाम/पदनाम	अभ्युक्ति/समिति की संस्तुति/ संस्तुति के अनुसार आवंटित राज्य
1.	श्री विजय पाल, ब्लाक अर्गानाइजर, होमगार्ड	उत्तराखंड
2.	श्री धर्मेन्द्र कुमार, टी.बी स्वास्थ्य परिदर्शक, चिकित्सा विभाग	श्री धर्मेन्द्र कुमार को इस शर्त के अधीन उत्तर प्रदेश राज्य आवंटित किये जाने कि संस्तुत की गई कि उनके मूल निवास एवं जाति प्रमाण पत्र को पुष्टि लिखित रूप में उ0प्र0 पुनर्गठन समन्वय विभाग द्वारा कर ली जाएगी ।
3.	श्री प्रयाग राम आर्य, अवर अभियंता (यांत्रिक), सिंचाई विभाग	उत्तराखंड
4.	श्री हरी राम, वरिष्ठ लिपिक, सिंचाई विभाग	उत्तराखंड